प्रथम सूचना रिपोर्ट

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला चौकी – भ्र0नि0 ब्यूरो,हनुमानगढ़ थाना– प्र0आ0के. भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष– 2023
प्र0सू0रि0 सं......56/2023 दिनांक.......04/3/2023......

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7
(2) अधिनियम .... धाराएं ....
(3) अधिनियम.. धाराएं.................................
(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराएं.................................

3. (क) घटना का दिन–शुक्रवार दिनांक. 03.03.2023 से दिनांक...12.50 पीएम........ तक
पहर...................... बजे से ....
(ख) थाने पर प्राप्त सूचना .... दिनांक– 05.12.2022 समय : 03.00 पीएम
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....68....... समय..........6:00 P.M.........

4. सूचना कैसे प्राप्त हुइ– स्वयं हाजिर होकर, लिखित/मौखिक– लिखित

1. घटना स्थल का ब्यौरा
2. (क) थाने से दिशा एवं दूरी– चौकी से बजानिब पूर्व दक्षिण दिशा बफासला करीब 40 किमी.
.... बीट संख्या..........
(ख) पता – दूकान नं. 72 ए के उपर का कमरा धानमण्डी रावतसर
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
थाने का नाम.. जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला)
(क) नाम– श्री पृथ्वीराज कस्वां
(ख) पिता/पति का नाम– श्री सुरजाराम
(ग) जन्म तिथि/उम्र 52 वर्ष (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय (ड़) पासपोर्ट संख्या.................................
जारी करने की तिथि.................................... जारी करने का स्थान.....................................
(च) व्यवसाय– ....
(छ) पता– निवासी वार्ड नं. 04, चक 16 ए जी भोमपुरा जिला हनुमानगढ हाल निवास रावतसर

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1.श्री सुभाष सहारण पुत्र श्री राजाराम जाति जाट उम्र–53 वर्ष निवासी गांव मेहम्मदपुरिया, पोस्ट–बालासर, वाया–जीवननगर, तहसील रानिया, जिला सिरसा (हरियाणा) हाल निवास कृषि मण्डी क्वाटर रावतसर अस्थाई पता 40 बी, सेक्टर नं. 12 हनुमानगढ़ जक्शंन, हाल क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मण्डी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ़

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण...कोई नहीं

9. चोरी हुई सम्पति का विवरण :– आरोपित श्री सुभाष सहारण क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मण्डी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ़ द्वारा परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वा की जिनिंग फैक्ट्री कि कृषि विपणन विभाग से मिलने वाली छूट पर अपनी रिपोर्ट कर आदेश जारी करने की एवज में वक्त सत्यापन 3,00,000/–रूपये की मांग करना, परिवादी द्वारा रिक्वेस्ट करने पर 2,00,000/–रूपये रिश्वत लेने हेतु सहमत होना जिनमें से 1,00,000/–रूपये होली से पहले व 1,00,000/–रूपये होली के बाद लेने हेतु सहमत हुए, व वक्त रिश्वत लेन देन आरोपी श्री सुभाष सहारण क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मण्डी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ द्वारा 1,00,000/–रूपये रिश्वत प्राप्त करना, जो आरोपी श्री सुभाष सहारण क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग,

हनुमानगढ अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मण्ड़ी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ के पहने जैकेट के अंदर की दांयी जेब से बरामद होना, श्री सुभाष सहारण क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मण्ड़ी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ को परिवादी से 1,00,000/–रूपये रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार करना।

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य–...................... ट्रेप राशि **1,00,000/–रू0**

11. **प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु**

सेवा में,श्रीमान अतरिक्त पुलिस अधिक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो,हनुमानगढ विषयः–प्रार्थी से रिश्वत मांगने वाले श्री सुभाष सहारण उपनिदेशक मण्डी (कृषि विपणन विभाग) रावतसर हनुमानगढ़ के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विष्यान्तर्गत निवेदन है कि मैं पृथ्वीराज कस्वॉं रावतसर में निवास करता हुॅं एंव वही पर मण्ड़ी में अपना व्यापार करता हुॅं। हम दोनो भाईयों ने मिलकर कानाराम सुरजाराम कॉटन जिनिंग फैक्ट्री नियमानुसार उद्योग विभाग हनुमानगढ़ के मार्फत से चक 16 DWD में पिछले वर्ष लगाई है। उक्त फैक्ट्री को मैं ही संभालता हुॅं। मेरा भाई रामप्रताप कभी कभार फैक्ट्री में आता जाता रहता है। हमारी उक्त फैक्ट्री में पिछले वर्ष से कृषि विपणन बोर्ड से मिलने वाली छुट Pending है हमारी उक्त छुट की कार्यवाही हम नियमानुसार जिला उद्योग केन्द्र हनुमानगढ़ के मार्फत से करते है। तो इस कार्यवाही में कृषि विपणन विभाग रावतसर, हनुमानगढ़ कि रिर्पोट भी लगती है। उक्त रिपोर्ट श्री सुभाष सहारण द्वारा तैयार कि जानी है। श्री सुभाष सहारण हमारी उक्त रिपोर्ट को हमेशा हमारे लिए नकारात्मक करके आगे विभाग में भेज देता है। जिससे हमें अब तक सरकारी छुट नहीं मिली है। इस बारे में मैं कई बार श्री सुभाष सहारण से मिल चुका हुॅं। और वे उक्त रिपोर्ट के सही करने की एवज में मुझसे रूपये की मांग करते है। दिनांक 4–12–2022 को हमारे पारिवारीक कार्यक्रम में श्री सुभाष सहारण मुझे मिले थे तब भी मैने उनसे हमारी रिर्पोट सही बनाने बाबत बात कि थी तब भी उन्होने मुझे कहा कि आप जब तक मुझे 2 लाख रूपये नही दोगे तब तक मैं आपकि रिपोर्ट सही नहीं करूगा। श्री सुभाष सहारण ने मुझे ये भी कहा कि मैं 2 लाख रूपये आप शंकर शर्मा निवासी रावतसर जो अभी मेरे साथ है। को दे देना तो मैं आपकी रिपोर्ट सही करके उद्योग विभाग में भिजवा दुगां। अत श्रीमानजी से निवेदन है कि श्री सुभाष सहारण के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उसे मेरे से 2 लाख रूपये रिश्वत लेते हुए पकड़ने की कृपा करे। प्रार्थी –एसडी–पृथ्वीराज कस्वॉं S/o श्री सुरजाराम जाति जाट रावतसर मो0 9829873479 दिनांक 5–12–2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक :–05.12.2022 समयः–03.00 पीएम स्थान एसीबी कार्यालय हनुमानगढ़ प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वॉं पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट उम्र–52 वर्ष निवासी वार्ड नं. 04, चक 16 ए जी भोमपुरा जिला हनुमानगढ हाल निवास रावतसर ने ब्युरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उपअधीक्षक पुलिस के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया, परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र अपने विश्वसनीय जानकार से लिखवाना व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी पृथ्वीराज कस्वॉं ने दरियाफत पर बताया कि मै रावतसर में निवास करता हू एंव वहीं पर मण्ड़ी में अपना व्यापार करता हूं, मैने व मेरे भाई रामप्रताप ने मिलकर कानाराम सुरजाराम कॉटन जिनिग फैक्ट्री नियमानुसार उद्योग विभाग हनुमानगढ़ के मार्फत से चक 16 डी.डब्ल्यू.डी. में पिछले वर्ष लगाई है, उक्त फैक्ट्री को मैं ही सभांलता हूं, मेरा भाई रामप्रताप कभी–कभार फैक्ट्री में आता जाता रहता है। हमारी उक्त फैक्ट्री में पिछले वर्ष से कृषि विपणन बोर्ड से मिलने वाली छुट पेडिंग है हमारी उक्त छुट की कार्यवाही हम नियमानुसार जिला उद्योग केन्द्र हनुमानगढ़ के मार्फत से करते है तो इस कार्यवाही में कृषि विपणन विभाग रावतसर, हनुमानगढ़ की रिपोर्ट लगती है, उक्त रिपोर्ट श्री सुभाष सहारण द्वारा तैयार कि जानी है, श्री सुभाष सहारण हमारी उक्त रिपोर्ट को हमेशा हमारे लिए नकारात्मक करके आगे विभाग में भेज देता है जिससे हमें अब तक सरकारी छुट नहीं मिली है, इस बारे में मैं कई बार श्री सुभाष सहारण से मिल चुका हूं और वे उक्त रिपोर्ट के सही करने की एवज में मुझसे रूपये की मांग करते है, दिनांक 04.12.2022 को हमारे पारिवारिक कार्यक्रम में श्री सुभाष सहारण मुझे मिले ये तब भी मैने उनसे हमारी रिपोर्ट सही बनाने बाबत बात की थी तब भी उन्होने मुझे कहा कि आप जब तक मुझे दो लाख रूपये नही दो गे तब तक मैं आपकी रिपोर्ट सही नहीं करूंगा, श्री सुभाष सहारण ने मुझे ये भी कहा कि ये दो लाख रूपये आप शंकर शर्मा निवासी रावतसर जो अभी मेरे साथ है को दे देना तो मैं आपकी रिपोर्ट सही करके उद्योग विभाग में भिजवा दूंगा, मेरा श्री सुभाष सहारण व श्री शंकर शर्मा से किसी प्रकार की उधार का लेन–देन नहीं है और ना ही मेरी उनसे किसी प्रकार की रंजिश है, परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वॉं के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पुछताछ में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी का प्रार्थना पत्र

मय आधार कार्ड की फोटोप्रति शामिल पत्रावली की गई। समय 04.30 पीएम पर परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वॉ को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, फिर परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वॉ व ब्युरो के कानिस्टेबल श्री विनय विशाल कानि0 576 का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वॉ को गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश गई। फिर परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वॉ ने बताया कि मैं श्री सुभाष सहारण की रावतसर में उपस्थिति का पता करके बता दूगां तब आप श्री विनय विशाल कानि. को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर रावतसर भेज देना मै रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वॉ को मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया, विनय विशाल कानि0 को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 11.12.2022 समय 07:00 एएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस गोपनीय सूत्र सूचना संकलित करने हेतु संगरिया टिब्बी क्षेत्र की ओर रवाना हो रहा हूं, परिवादी पृथ्वीराज से संबंधित गोपनीय कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक को आवश्यक हिदायत कर सुपुर्द किये गये। समय 07.30 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक ने उक्त गोपनीय कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज पेश कर बताया कि मैने उक्त पत्रावली का अवलोकन किया। समय 07.30 एएम पर श्री विनय विशाल कानि0 ने मुझको अवगत करवाया कि परिवादी श्री पृथ्वीराज द्वारा मुझे जरिये दूरभाष अवगत करवाया है कि आज आरोपी सुभाष सहारण रावतसर में मिल सकता है आप ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर रावतसर आ जाओं मै नियमानुसार रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर विनय विशाल कानि0 को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी से संपर्क कर आवश्यक हिदायत कर वास्ते गोपनीय सत्यापन हेतु रावतसर के लिए रवाना किया। समय 05.30 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा श्री विनय विशाल कानि0 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अवगत करवाया कि मै ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर रावतसर पहुंच परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वा से मिला, उसके द्वारा आरोपी की उपस्थिति का पता किया तो पता चला कि आरोपी अपने कार्यालय में उपस्थित है, जिस पर परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर वास्ते गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी सुभाष सहारण के कार्यालय की तरफ रवाना किया, मै बाहर ही गोपनीय रूप से मुकीम हो गया, काफी देर बाद परिवादी पृथ्वीराज कस्वा आरोपी सुभाष सहारण के कार्यालय से बाहर आया व ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मैने बंद किया, फिर परिवादी पृथ्वीराज ने बताया कि मेरी आरोपी सुभाष सहारण से मेरे कार्य के संबंध में वार्ता हुई लेकिन उसके द्वारा मेरे से किसी प्रकार की कोई रिश्वत की मांग नही की गई, मै आईन्दा पुनः प्रयास करूगां, इस पर मै रावतसर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना उसमें किसी प्रकार की रिश्वत मांग के तथ्य नही पाये गये। समय 07.35 पीएम पर श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक से प्राप्त दस्तावेज का अवलोकन किया गया, आईन्दा परिवादी द्वारा संपर्क करने पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 28.02.2023 समय 02.00 पीएम परिवादी श्री पृथ्वीराज ने जरिये दूरभाष संपर्क कर बताया की श्री सुभाष सहारण मेरे को मिलने व रिश्वत संबंधी वार्ता करने मेरी फैक्ट्री में आज आयेगा आप श्री विनय विशाल कानि. को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर भेज दो मै रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वॉ को मुनासिब हिदायत दी गई, श्री विनय विशाल कानि0 को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। समय 08.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा श्री विनय विशाल कानि0 ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया व अवगत करवाया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर रावतसर पहुंचा वहां पर परिवादी श्री पृथ्वीराज उपस्थित मिला जिसने मुझे कहा कि आज श्री सुभाष सहारण मेरी फैक्ट्री पर आयेगें व आने से पहले मेरे से संपर्क करेगें तब आप फैक्ट्री पर आकर मुझे डिवाईस दे देना, इस पर मैं रावतसर में ही गोपनीय रूप से मुकिम हो गया, फिर 06.00 पीएम पर परिवादी श्री पृथ्वीराज ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि श्री सुभाष सहारण आज नहीं आयेगें वो कल सुबह आयेगें इस पर मैं वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। इस पर विनय विशाल को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 01.03.2023 समय 06.00 एएम पर श्री विनय विशाल कानि0 को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी से संपर्क कर आवश्यक हिदायत कर वास्ते गोपनीय सत्यापन हेतु रावतसर की तरफ रवाना किया। समय 05.30 पीएम पर श्री विनय विशाल कानि0 576 गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। विनय विशाल कानि0 ने ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बंद हालत में मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुए बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री पृथ्वीराज की फैक्ट्री में पहुंचा तो परिवादी श्री पृथ्वीराज उपस्थित मिले। परिवादी ने कहा कि आज दिन में श्री सुभाष सहारण मिलने के लिए आयेगें इस पर मै फैक्टी में ही गोपनीय रूप से मुकिम हो गया। दिन में श्री सुभाष सहारण परिवादी श्री पृथ्वीराज की फैक्ट्री पर करीब 02.50 पीएम पर उपस्थित आया तो मैने डिजिटल वाईस

रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया मै गोपनीय रूप से वहीं फैक्ट्री में मुकिम हो गया। समय करीब 03.40 पीएम पर परिवादी मेरे पास आया व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बंद किया। परिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी श्री सुभाष सहारण से रिश्वत के संबंध में बातचीत हो गयी है जिसने मेरे से तीन लाख रूपये की मांग की मेरे द्वारा रिकवेस्ट करने पर दो लाख रूपये लेने में सहमति दी तब मैने एक लाख रूपये कल देने व एक लाख रूपये होली के बाद देने का कहा तो उसने सहमति दी वो मेरे से कल एक लाख रूपये लेगा। परिवादी श्री पृथ्वीराज ने कहा की मैं एक लाख रूपये की रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल सुबह ब्यूरो कार्यालय में हाजिर हो जाउंगा, इस पर मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री पृथ्वीराज को वहीं पर छोड़ते हुए मै वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ उपस्थित आया हूं। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों की ताईद हुई। आईन्दा उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर डी.वी.डी. में डाउनलोड करवायी जायेगी। ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 02.03.2023 समय 10.00 एएम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने पर जरिये तहरीर देकर श्री गुलाम कादर सउनि0 को जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ रवाना किया गया। समय 11.15 एएम पर जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ से श्री गुलाम कादर सउनि. के हमराह कार्यालय सहायक अभियंता वितरण जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ जंक्शन के श्री राहुल बजाज सूचना सहायक व श्री शैलेन्द्र कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय उपस्थित आये। समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बताया कि मुझे दिनांक 27.02.2023 को मेरे परिचित ने मुझे बताया था कि श्री सुभाष सहारण आपसे मिलकर आपके काम के बारे में पैसे के लेनदेन की बातचीत करने के लिए कल दिनांक 28.02.2023 को आपकी फैक्ट्री में आयेगें तब मैने आपको सूचना दे दी थी, दिनांक 28.02.2023 को श्री विनय विशाल मुझे रावतसर मे मिले थे तब मैने कहा कि जब श्री सुभाष सहारण फैक्ट्री आयेंगे तो मुझे फोन करेगें तब आप फैक्ट्री आ जाना फिर उस दिन शाम को वो मुझे पता चला कि वो आज नही आयेगें बल्कि अगले दिन सुबह आयेगें तब मैने विनय विशाल को यह बात बता दी थी। कल दिनांक 01.03.2023 को सुबह विनय विशाल मेरे पास फैक्ट्री में आ गये थे, फिर दिन में लगभग 02.50 पीएम पर श्री सुभाष सहारण मेरी फैक्ट्री में आये थे तब विनय विशाल ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर दे दिया था वह स्वंय गोपनीय रूप से मुकिम हो गया था। मैने श्री सुभाष सहारण से मेरे काम के बारे में बातचीत की तो श्री सुभाष सहारण से रिश्वत के संबंध में बातचीत हो गयी ,जिसने मेरे से तीन लाख रूपये की मांग की मेरे द्वारा रिकवेस्ट करने पर दो लाख रूपये लेने में सहमति दी तब मैने एक लाख रूपये आज देने व एक लाख रूपये होली के बाद देने का कहा तो उसने सहमति दी उक्त वार्ता को मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था, फिर मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को विनय विशाल कानि0 को सुपुर्द कर दिया था। मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हेतु वहीं पर रूक गया था, विनय विशाल वहां से चले गये थे। आज दिनांक 02.03.2023 को मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1,00,000/–रूपये की व्यवस्था कर साथ लाया हूं। समय 01.05 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री राहुल बजाज सूचना सहायक व श्री शैलेन्द्र कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय को बुलवाया जाकर परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वा से आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। निर्देश पर परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वॉ पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट उम्र–52 वर्ष निवासी वार्ड नं. 04, चक 16 ए जी भोमपुरा जिला हनुमानगढ हाल निवास रावतसर ने आरोपित श्री सुभाष सहारण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि दो–दो हजार रूपये के 50 नोट कुल 1,00,000/– रूपये मुझ उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	नोटों का विवरण	नम्बर
1	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3HW800541
2	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1HK973896
3	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8GN543915
4	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5DC210349
5	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5ES062718
6	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9KD310608
7	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8MW938132
8	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8CN543084
9	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5GN362680
10	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	7CB466564
11	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	7FG614986

12	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8EW572324
13	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3AF154140
14	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9DE525541
15	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	2AQ393952
16	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8LM682208
17	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1DD064835
18	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3AK910139
19	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1FL129247
20	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6GN138359
21	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	7GL619772
22	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8BT348518
23	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6FS932824
24	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9KK762571
25	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8DW987288
26	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3MK322901
27	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6CS146247
28	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	0BK568429
29	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6DN819477
30	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3CC391270
31	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6BL438969
32	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5KL173521
33	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4HP252030
34	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	0AH434889
35	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8BR418477
36	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8LA991169
37	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1ET364615
38	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9KN007445
39	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	7MH912252
40	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3FE472649
41	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	7AF501268
42	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3KF007198
43	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	7EH884750
44	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5AE701798
45	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4FF636495
46	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	7DK249841
47	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	0EV644318
48	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3HB690437
49	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5CR337269
50	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3AH551303

रूबरू गवाहन श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 16 से मालखाना हाजा में से फिनॉलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के सभी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह राहुल बजाज सूचना सहायक से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 1,00,000 रू. श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 से ही परिवादी के पहने कुर्ते की उपरी बांयी जेब में सावधानी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल न. 9414000061 पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि.

के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को नाली में फिंकवाकर गिलास को साबुन पानी से साफ धुलवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाना में रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों व गिलास को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड सहित परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वॉ को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। समय 02.00 पीएम पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर मन उपअधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री राहुल बजाज, श्री शैलेन्द्र कुमार , श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री गुलाम कादर सउनि., श्री हंसराज मुख्य आरक्षक, श्री वरूण कुमार कानि0, श्री राजेश कुमार कानि0, श्री संदीप कानि.,श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री विनय विशाल कानि0 को परिवादी व ट्रेप कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाया गया। मन उपअधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री राहुल बजाज, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री गुलाम कादर सउनि., श्री हंसराज मुख्य आरक्षक, श्री वरूण कुमार कानि0, श्री राजेश कुमार कानि0, श्री संदीप कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक निजि प्राईवेट वाहनो से मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रैप बाक्स मय दिनांक 01.03.2023 को मांग सत्यापन रिकॉर्ड किया हुआ डी.वी. आर. हमराह लेकर श्री राजेश कुमार कानि0 के निजि वाहन व श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक के निजि वाहन से व परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वां व श्री विनय विशाल कानि0 को परिवादी के निजि वाहन से ब्यूरो कार्यालय से रावतसर की तरफ रवाना हुए। श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 को ब्यूरो कार्यालय में ही आवश्यक हिदायत कर छोड़ा गया। समय 03.30 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा रावतसर पहुंचे, परिवादी ने अवगत करवाया कि श्री सुभाष सहारण मेरी धानमण्डी स्थित दुकान पर आ सकते है इसलिए मै मेरी दुकान पर ही रूकता हूं, इस पर परिवादी श्री पृथ्वीराज को उसकी दुकान पर भेजते हुए श्री विनय विशाल कानि0 को आवश्यक हिदायत कर उसके साथ रवाना किया मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी श्री पृथ्वीराज की दुकान के पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। समय 07.30 पीएम पर परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वा मेरे पास उपस्थित आया व अवगत करवाया कि अब तक श्री सुभाष सहारण ने मेरे से कोई संपर्क नहीं किया है, आज वो अब मेरे से संपर्क नहीं करेंगे वो कल सुबह ही संपर्क करेगें, इस पर परिवादी को सुपुर्दशुदा रिश्वत राशि व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री राजेश कुमार कानि0 के जरिये परिवादी श्री पृथ्वीराज से प्राप्त कर श्री राजेश कुमार के प्राईवेट वाहन के डेस बोर्ड में सुरक्षित रखवायी गई व श्री राजेश कुमार कानि0 को हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी को हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया एंव मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान मय अनुसंधान सामग्री व ट्रेप बाक्स के प्राईवेट वाहनों से मौके से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुआ। समय 08.30 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ उपस्थित आया। अनुंसधान सामग्री व ट्रेप बाक्स कार्यालय में रखवाये गये। प्राईवेट गाड़ी के डेश बोर्ड में रखी हुई रिश्वत राशि के बारे में श्री राजेश कुमार कानि. को हिदायत मुनासिब की गई। गवाहन श्री राहुल बजाज व श्री शैलेन्द्र कुमार को हिदायत मुनासिब कर कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 01.03.2023 को रिकॉर्डिंग शुदा डी.वी.आर. को अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 03.03.2023 समय 08.00 एएम पर पूर्व हिदायतानुसार स्वतंत्र गवाह श्री राहुल बजाज सूचना सहायक व श्री शैलेन्द्र कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 08.30 एएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस मय स्वंतत्र गवाह श्री राहुल बजाज, श्री शैलेन्द्र कुमार ब्यूरो स्टाफ के श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री गुलाम कादर सउनि.,श्री हसंराज मुख्य आरक्षक 55, श्री विनय विशाल कानि. 576, श्री वरूण कुमार कानि. 97, श्री राजेश कुमार कानि. 484, श्री संदीप कानि. 273, श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक के जरिये श्री राजेश कुमार कानि0 के निजि वाहन व श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक के निजि वाहन से मय अनुंसधान सामग्री व ट्रेप बाक्स व दिनांक 01.03.2023 को रिकॉर्डिंग शुदा डी.वी.आर. को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ से रावतसर के लिए रवाना हुआ। समय 10.00 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रावतसर पहुंचा, जहां पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वा उपस्थित मिले। समय 10.20 एएम पर रूबरू गवाहन श्री राजेश कुमार के प्राईवेट वाहन के डेश बोर्ड में रखी रिश्वत राशि को श्री राजेश कुमार कानि0 के जरिये डेश बोर्ड से निकलवायी जाकर परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वां के पहने हुए कुर्ते की उपरी बांयी जेब में रखवायी गई एंव रिश्वत लेन देन की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को डी.वी.आर. हिदायत मुनासिब कर सुपुर्द किया गया एंव परिवादी ने कहा कि श्री सुभाष सहारण दिन में धानमण्डी में बोली पर आयेगा तब मेरे से रिश्वत राशि लेगा एवं श्री राजेश कुमार कानि0 के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये।परिवादी के साथ श्री विनय विशाल कानि0 को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया मन् उपअधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह एंव

हमराहीयान ब्यूरो स्टाफ के धानमण्डी परिसर में गोपनीय रूप से मुकिम हुआ। समय 12.50 पीएम पर परिवादी पृथ्वीराज कस्वा ने दुकान नं. 72 ए बी.के. फर्टिलाईजर्स की सीढ़ियों से नीचे आकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा करने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने तुरन्त दोनो स्वंतत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर परिवादी पृथ्वीराज कस्वा के पास पहुचा तो उसने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द करते हुए बताया कि श्री सुभाष सहारण ने मेरे से संबंधित कार्य की बात करते हुए मेरे से 1,00,000/–रूपये प्राप्त कर अपने पहनी जैकेट की अन्दर की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये, इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस परिवादी को साथ लेते हुए सीडियो से उपर चढकर बांयी साईड की कमरे में प्रवेश किया तो गेट के सामने रखे सोफे पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यह श्री सुभाष सहारण है जिन्होने मेरे से रिश्वत प्राप्त कर अपने पहनी जैकेट की जेब में रख ली इस पर उस व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तो वह घबरा गया जिस पर उसे तसल्ली देकर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुभाष सहारण पुत्र श्री राजाराम जाति जाट उम्र–53 वर्ष निवासी मेहम्मदपुरिया, तहसील रानिया, जिला सिरसा (हरियाणा) हाल निवास कृषि मण्ड़ी क्वाटर रावतसर, हाल क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मण्ड़ी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ होना बताया इस पर आरोपी श्री सुभाष सहारण से परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वा से 1,00,000/–रूपये रिश्वत लेने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री सुभाष सहारण ने बताया कि पृथ्वीराज कस्वा की राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के अन्तर्गत मण्ड़ी शुल्क की फाईल दिनांक 09.01.2023 को मेरे रावतसर कार्यालय में आयी थी, फाईल में नियमानुसार कार्यवाही करवाते हुए दिनांक 23.01.2023 मेरे कार्यालय से पत्रावली को अनुमोदन हेतु प्रशासक/उपखण्ड़ अधिकारी रावतसर को भेज दी थी, जिन्होने दिनांक 25.01.2023 को अनुमोदन कर पत्रावली वापिस लौटा दी थी, जिस पर मैने उसी दिन मण्ड़ी शुल्क में छूट का कार्यालय आदेश जारी कर दिया था, इस कार्य को करने के ईनाम के रूप में श्री पृथ्वीराज कस्वा ने मुझे आज एक लाख रूपये दिये जिसे मैने प्राप्त कर मेरे पहनी जैकेट की अंदर की जेब में रख लिये, इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वा ने बताया कि मैने व मेरे भाई रामप्रताप ने मिलकर कानाराम सुरजाराम कॉटन जिनिग फैक्ट्री नियमानुसार उद्योग विभाग हनुमानगढ़ के मार्फत से चक 16 डी.डब्ल्यू.डी. में लगाई, उक्त फैक्ट्री को मैं ही सभांलता हूं, हमारी उक्त फैक्ट्री में पिछले वर्ष से कृषि विपणन बोर्ड से मिलने वाली छुट पेडिंग है हमारी उक्त छुट की कार्यवाही हम नियमानुसार जिला उद्योग केन्द्र हनुमानगढ़ के मार्फत से करते है तो इस कार्यवाही में कृषि विपणन विभाग रावतसर, हनुमानगढ़ की रिपोर्ट लगती है, उक्त रिपोर्ट श्री सुभाष सहारण द्वारा तैयार की जानी थी, श्री सुभाष सहारण हमारी उक्त रिपोर्ट को हमेशा हमारे लिए नकारात्मक करके आगे विभाग में भेज देता था, जिससे हमें अब तक सरकारी छुट नहीं मिली थी, इस बारे में मैं कई बार श्री सुभाष सहारण से मिल चुका था लेकिन मेरा काम नही कर रहे थे फिर मेरे द्वारा इन्हे रिश्वत की हामी भरने पर मेरी फाईल पास की उसकी एवज में परसो मेरे पास फैक्ट्री में आये और मेरे से तीन लाख रूपये की रिश्वत की मांग की मैने कुछ कम कहने पर दो लाख रूपयों लेने हेतु सहमत हुए उसमें से एक लाख रूपये रिश्वत के रूप में इनके द्वारा मांगने पर ही आज दिये है, रिश्वत राशि का आदान प्रदान की ताईद होने पर आरोपी श्री सुभाष सहारण क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मण्ड़ी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ के दोनो हाथो की धुलवाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना उपस्थित गवाहन ने ताईद किया फिर एक कांच के गिलास के तैयार घोल मे आरोपी सुभाष सहारण के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसकी गवाहन द्वारा ताईद करने पर धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में मौके पर आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर चिट कर मार्का आर–1, आर–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इस विधि अनुसार दूसरे कांच की गिलास में तैयार घोल में आरोपी के बांये हाथ की अगुंलियो व अगूंठे को घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला प्राप्त हुआ जिसकी गवाहन द्वारा ताईद करने पर धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में मौके पर आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर चिट कर मार्का एल–1, एल–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर गवाह श्री राहुल बजाज को निर्देश देने पर गवाह श्री राहुल बजाज ने आरोपी श्री सुभाष सहारण के पहनी जैकेट के अन्दर की दांयी साईड की जेब को चैक करवाया तो गवाह श्री राहुल बजाज ने 2000–2000/–रूपये के नोटों की थैई निकाल कर गिनकर कुल 1,00,000/–रूपये होना बताया जिस पर दूसरे गवाह श्री शैलेन्द्र कुमार को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर अंकित नोटो के नंबरो का मिलान बरामदा नोटों के नंबरों से करवाने पर दोनो गवाहन ने हुबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताने पर उक्त नोटों के नंबर फर्द में अंकित किये गये। उक्त बरामद नोटो को एक कपड़े के टुकड़े में सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। रिश्वत राशि आरोपी की पहनी जैकेट के अदंर की दांयी जेब से बरामद

हुई है, जैकेट की जेब की धुलवाई करवायी जाना आवश्यक होने से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसकी ताईद गवाहान द्वारा करने पर आरोपी के पहनी हुई जैकेट बंरग सलेटी को उतरवाकर उसकी अंदर की दांयी साईड की जेब को उल्टवाकर उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे मौके पर दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर मौके पर सिल मोहर चिट कर मार्का जे.पी–1, जे.पी–2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर उक्त जैकेट बरंग सलेटी को समेट कर सफेद धागे से बांधकर कपड़े की थैली में डालकर थैली को मौके पर सील मोहर चीट कर मार्क जे.पी. अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी से परिवादी पृथ्वीराज से संबंधित दस्तावेज के संबंध में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि इससे संबंधित पत्रावली मेरे कार्यालय में पड़ी है, जिस पर संबंधित के नंबर लेकर उसको पत्रावली सहित उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02.00 पीएम पर श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री गुलाम कादर सउनि, श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक को आरोपी के रहवासी मकान सरकारी क्वाटर कृषि उपज मण्डी समिति रावतसर व कार्यालय की नियमानुसार खानातलाशी के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। वक्त 02.10 पीएम पर फर्द नमूना सील तैयार की गई।घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका कसीद कर फर्द मुर्तिब की गई। आरोपी श्री सुभाष सहारण क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मण्डी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। समय 03.00 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस के पास दिनांक 01.03.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 01.03.2023 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए तीन खाली नई डीवीडियां मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री विनय विशाल कानि0 576 से उक्त वार्ता को तीन डीवीडी में बारी बारी से डाउनलोड करवाया तथा उनमें वार्ता डाउनलोड होना सुनिश्चित होने पर उन्हे मार्क ए–1, मार्क ए–2, मार्क ए–3 दिया गया, उनमें से दो डीवीडी मार्क ए–1 व मार्क ए–2 पर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त डीवीडीयों को प्लास्टिक लिफाफा कवर में अलग–अलग डालकर उक्त डीवीडी को कवर सहित कपड़े की थैली में अलग–अलग डलवाकर थैली को सील्ड किया जाकर मार्क ए–1 व मार्क ए–2 अंकित कर हाजरीन के थैली पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं तीसरी डीवीडी मार्क ए–3 को एक प्लास्टिक लिफाफे कवर में डलवाकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 01.03.2023 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 07.15 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस के पास वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 03.03.2023 को हुई परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 03.03.2023 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए तीन खाली नई डीवीडियां मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री विनय विशाल कानि0 576 से उक्त वार्ता को तीन डीवीडी में बारी बारी से डाउनलोड करवाया तथा उनमें वार्ता डाउनलोड होना सुनिश्चित होने पर उन्हे मार्क बी–1, मार्क बी–2, मार्क बी–3 दिया गया, उनमें से दो डीवीडी मार्क बी–1 व मार्क बी–2 पर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त डीवीडीयों को प्लास्टिक लिफाफा कवर में अलग–अलग डालकर उक्त डीवीडी को कवर सहित कपड़े की थैली में अलग–अलग डलवाकर थैली को सील्ड किया जाकर मार्क बी–1 व मार्क बी–2 अंकित कर हाजरीन के थैली पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं तीसरी डीवीडी मार्क बी–3 को एक प्लास्टिक लिफाफे कवर में डलवाकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 03.03.2023 को वक्त रिश्वत लेन–देन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेटकर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क B अंकित कर सबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान काम में ली गई पीतल की सील को रूबरू गवाहन नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गई। परिवादी से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर मौके से रूखसत किया गया। मौके से रवाना होकर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंच कार्यवाही में जब्तशुदा माल–वजह सबूत छः

शिशिया, सील्डशुदा रिश्वत राशि 1,00,000/–रूपये, सील्डशुडा डी.वी.डी. की चार थैलीया, सील्डशुदा मैमोरीकार्ड की दो थैलीया श्री हसंराज मुख्य आरक्षक को सुरक्षित संभलाया जाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर मालखाना में रखवाया गया। आरोपी श्री सुभाष सहारण को रात्रि सुरक्षा हेतु पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्शंन की हवालात में भिजवाया गया।

इस प्रकार परिवादी श्री पृथ्वीराज कस्वॉ पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट उम्र–52 वर्ष निवासी वार्ड नं. 04, चक 16 ए जी भोमपुरा जिला हनुमानगढ हाल निवास रावतसर जिला हनुमानगढ़ की कानाराम सुरजाराम कॉटन जिनिंग फैक्ट्री जो नियमानुसार उद्योग विभाग हनुमानगढ़ के मार्फत से चक 16 DWD में वर्ष 2021 में लगायी गई थी, उक्त फैक्ट्री में कृषि विपणन बोर्ड से मिलने वाली छूट को लेने के लिए कृषि विपणन विभाग रावतसर हनुमानगढ़ की रिपोर्ट भी आवश्यक थी,उक्त रिपोर्ट श्री सुभाष सहारण क्षेत्रीय उप निदेशक कृषि विपणन विभाग हनुमानगढ़ अति. चार्ज सचिव कृषि उपज मण्ड़ी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ़ द्वारा तैयार की जानी थी। उक्त रिपोर्ट को पूर्व में श्री सुभाष सहारण द्वारा नकारात्मक करके आगे विभाग में भेजा गया था जिससे परिवादी को सरकारी छूट नहीं मिली, इस पर परिवादी श्री पृथ्वीराज द्वारा श्री सुभाष सहारण से बार–बार मिलने पर श्री सुभाष सहारण द्वारा उक्त रिपोर्ट को सही करने की एवज में दो लाख रूपये मांग कर अपने परिचित श्री शंकर शर्मा निवासी रावतसर को देने पर सही रिपोर्ट करने बाबत कहा, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.03.2023 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन से आरोपी श्री सुभाष सहारण क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मण्ड़ी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ द्वारा 3,00,000/–रूपये मांग की, परिवादी द्वारा रिकवेस्ट करने पर 2,00,000/–रूपये लेने हेतु सहमत हुए, जिनमें से 1,00,000/–रूपये होली से पहले व 1,00,000/–रूपये होली के बाद लेने के तथ्य रिकॉर्ड पर आये, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 03.03.2023 को रूबरू गवाहन 1,00,000/–रूपये रिश्वत राशि पर ट्रेप का आयोजन किया गया। वक्त रिश्वत लेन–देन आरोपी श्री सुभाष सहारण क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मण्ड़ी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ द्वारा परिवादी से 1,00,000/–रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी जैकेट के अंदर की दांयी जेब में रखे जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई, आरोपी के दोनो हाथों की धुलवाई से प्राप्त धोवन हल्का गुलाबी व गदमैला, व रिश्वती राशि बरामदगी स्थान जैकेट के अंदर की दांयी जेब से प्राप्त धोवन गुलाबी प्राप्त होने एंव वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने, आरोपी द्वारा कार्यवाही के दौरान परिवादी के कार्य करने के ईनाम के रूप में रिश्वत राशि 1,00,000/– रूपये प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति आदि तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री सुभाष सहारण क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मण्ड़ी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादी से रिश्वत प्राप्त की आदि तथ्यों से श्री सुभाष सहारण पुत्र श्री राजाराम जाति जाट उम्र–53 वर्ष निवासी गांव मेहम्मदपुरिया, पोस्ट–बालासर, वाया–जीवननगर, तहसील रानिया, जिला सिरसा (हरियाणा) हाल निवास कृषि मण्ड़ी क्वाटर रावतसर अरथाई पता 40 बी, सेक्टर नं. 12 हनुमानगढ़ जक्शंन, हाल क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मण्ड़ी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध घटित होना पाया गया है। अतः श्री सुभाष सहारण पुत्र श्री राजाराम जाति जाट उम्र–53 वर्ष निवासी गांव मेहम्मदपुरिया, पोस्ट–बालासर, वाया–जीवननगर, तहसील रानिया, जिला सिरसा (हरियाणा) हाल निवास कृषि मण्ड़ी क्वाटर रावतसर अस्थाई पता 40 बी, सेक्टर नं. 12 हनुमानगढ़ जक्शंन, हाल क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मण्ड़ी समिति रावतसर जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध वर्णित उक्त धारा में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(रविन्द्र सिह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुभाष सहारण, क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ़ अतिरिक्त चार्ज सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति रावतसर, जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 56/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

4.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 446-49 दिनांक 4.3.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,श्रीगंगानगर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकयत) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़।

4.3.23
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।